न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 75/22

1. गोमती पुत्री गिरधारीराम पत्नि रेंवताराम जाति लोहार निवासी साजनसर हाल निवासी सुरपालिया तहसील जायल जिला नागौर
2. मांगी पुत्री गिरधारीराम पत्नि मांगीलाल जाति लोहार निवासी साजनसर हाल निवासी वार्ड नंबर 5 नोखा जिला बीकानेर

वादीगण

बनाम

1. रामूराम पुत्र गिरधारीराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. खेताराम पुत्र गिरधारीराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. पुष्पादेवी पत्नि उदाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. गुमानाराम पुत्र उदाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. फूलाराम पुत्र उदाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. लालचन्द पुत्र उदाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. सीरूदेवी पत्नि किसनाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. छोटूराम पुत्र किसनाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. मुरलीधर पुत्र किसनाराम जाति लोहार निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
11. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत

उपस्थित :–
मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक:– 18-2-2025

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के पिता/ससुर/दादा गिरधारीराम पुत्र बीदाराम जाति लोहार निवासी साजनसर के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 351/53 तीन सौ ईकावन बट्टा तरेपन तादादी 6.0323 छः दशमलव जीरो तीन दौ तीन हेक्टेयर भूमि वाके रोही साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू में खातेदारी का स्थित है। इस भूमि का मूल खसरा संख्या 53 तरेपन रकबा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

24 चौबीस बीघा 17 सतरह बिश्वा था जिसमें सें प्रतिवादीगण ने 1 एक बीघा भूमि ग्राम पंचायत गेवरसर के पक्ष में दान की थी। इस कारण वर्तमान में 1 एक बीघा भूमि खसरा संख्या 350/53 तीन सौ पचास बट्टा तरेपन ग्राम पंचायत गेवरसर के नाम से अलग से खातेदारी में दर्ज स्थित है। शेष भूमि खसरा संख्या 351/53 तीन सौ ईकावन बट्टा तरेपन तादादी 6.0323 छः दशमलव जीरो तीन दौ तीन हेक्टेयर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के नाम से संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त भूमि पहले वादीगण के पिता गिरधारीराम के कब्जा काश्त खातेदारी अधिकार में थी। गिरधारीराम का स्वर्गवास हो चुका है। गिरधारीराम की पत्नि मनोहरी का भी स्वर्गवास हो चुका है। गिरधारीराम के चार पुत्र रामूराम, उदाराम, किसनाराम, खेताराम व दौ पुत्रियां गोमती, मांगी पैदा हुए। गिरधारीराम के पुत्र उदाराम, किसनाराम का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादीगण के पिता गिरधारीराम व माता मनोहरी का स्वर्गवास होने के बाद उक्त वादगत भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के कब्जा काश्त में आ गई। गिरधारीराम के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि में वादी प्रत्येक का 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा कायम हो गया। वादगत भूमि वादीगण के पिता के नाम होने से वादीगण की पुस्तेनी भूमि है। वादीगण का जन्म गिरधारीराम के जीवनकाल में ही हो गया था। प्रतिवादी संख्या 1 एक परिवार का कर्ताधर्ता होने के कारण गिरधारीराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में बाला बाला राजस्व कर्मचारीयों से मिलिभगत करके प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के नाम अंकित करवा ली। वादगत खेत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति का है। वादगत खेत वादीगण का पुस्तेनी खेत है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैत्रिक सम्पति में पुत्र पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए वादगत खेत में वादी प्रत्येक का 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा जन्म लेते ही कायम हो गया। वादगत खेत की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ ने अपने अकेलों के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित करायी जो वादीगण के मुकाबले शुन्य है। घोषित किया जावे कि वादगत खेत का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादीगण के मुकाबले शुन्य है तथा वादी प्रत्येक वादगत खेत में 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा भूमि की खातेदार कृषक है। गिरधारीराम के स्वर्गवास के बाद वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के साथ ही वादी प्रत्येक का 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा नियत हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ ने वादगत खेत की खातेदारी में अपने अकेलों के नाम दर्ज कराई है, जो गलत रूप से दर्ज कराई। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ के नाम वादगत खेत की दर्ज खातेदारी को संशोधित किया जाकर वादी प्रत्येक के नाम 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ प्रत्येक के 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 तीन ता 6 छः के संयुक्त रूप से 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा, प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

संख्या 7 सात ता 9 नौ के संयुक्त रूप से 1/6 एक बट्टा छः हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में संशोधन फरमाया जावे। वादगत खेत की संयुक्त खातेदारी भूमि का "बाई मिटस एण्ड बाउन्डस" के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीगण की 2/6 दो बट्टा छः हिस्सा भूमि की खातेदारी पृथक-पृथक अंकित की जाकर लगान का विभाजन किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ से दिनांक 25.07.2022 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी में संशोधन करवाकर संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन कराये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ ने साफ इन्कार कर दिया ओर वादीगण को ऐलानीया तौर पर धमकियां दी की वोह वादीगण को उसके हिस्से पांति बंटवारा के खेत से जबरन बलपूर्वक बेदखल करके कब्जा स्वंय करेगे या किसी अन्य का करायेगे। इस दोषपूर्ण कृत्य में प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ सफल हो गये तो वादीगण को अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी वादीगण को अपूर्तिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ को जरीये चिर निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता तब तक वादगत खेत के किसी हिस्से या अंश को विकय, हस्तांतरण, रहन, बैय आदि नहीं करें ओर ना ही वादीगण को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा स्वंय करे या किसी अन्य का कराये। ना ही वादीगण को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधायें, रूकावटे आदि पैदा स्वयं करे या किसी अन्य से कराये जिससे वादीगण के वैध कानूनी अधिकारों के विपरीत असर पडे। वादगत खेत वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं पैत्रिक कापार्सनरी सम्पति का खेत है एंव कब्जा काश्त में होने से वादीगण को वादाधार वाद प्राप्त है तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ द्वारा ऐलानियां धमकियां देने से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है। राजस्थान सरकार के विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को 2 दो माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 9 नौ द्वारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण राजस्थान सरकार को 2 दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वाद वादीगण घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन, संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादीगण वकील की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिकी करने का निवेदन किया।

वादीगण वकील की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादीगण द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण वादगत भूमि पुस्तेनी होने के आधार पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाना चाहती है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साजनसर खसरा संख्या 351/53 तादादी 6.0323 हेक्टेयर वादीगण की संयुक्त खातेदारी की पुस्तेनी भूमि है। जिसमें वादीनी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। वादगत भूमि में वादीनी प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित की जाती है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा वादगत भूमि रामूराम, खेताराम, गोमती, मांगी पिता गिरधारीराम हिस्सा 4/6 बहिब व पुष्पादेवी पत्नि उदाराम, गुमानाराम, फूलाराम, लालचन्द पिता उदाराम हिस्सा 1/6 बहिब व सीरूदेवी पत्नि किसनाराम हिस्सा 1/18, छोटूराम पुत्र किसनाराम हिस्सा 822/60323, मुरलीधर पुत्र किसनाराम हिस्सा 52925/542907 जाति लोहार निवासीगण साजनसर के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिकी जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18-2-2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अंतिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बीदासर व इजलास अगीलाल यादव, आर.ए.एस.

गोमती बनाम रामूराम आदि

दावा घोषणात्मक, संशोधन व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

मुकदमा नं.:- 75/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि रोही ग्राम साजनसर खसरा संख्या 351/53 तादादी 6.0323 हेक्टेयर वादीगण की संयुक्त खातेदारी की पुस्तेनी भूमि है। जिसमें वादीनी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। वादगत भूमि में वादीनी प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि की खातेदार घोषित की जाती है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा वादगत भूमि रामूराम, खेताराम, गोमती, मांगी पिता गिरधारीराम हिस्सा 4/6 बहिब व पुष्पादेवी पत्नि उदाराम, गुमानाराम, फूलाराम, लालचन्द पिता उदाराम हिस्सा 1/6 बहिब व सीरूदेवी पत्नि किसनाराम हिस्सा 1/18, छोटूराम पुत्र किसनाराम हिस्सा 822/60323, मुरलीधर पुत्र किसनाराम हिस्सा 52925/542907 जाति लोहार निवासीगण साजनसर के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

चीज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/2/2025

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (नागौर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः–खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी

बीदासर (नागौर)